

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) अजमेर संभाग, अजमेर

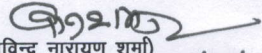
कार्यालय आदेश

निम्नांकित वरिष्ठ सहायक / सहायक प्रशासनिक अधिकारी का स्थानान्तरण कॉलम संख्या 8 में अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा किया जाता है:-

S. No.	Emp Code	Emp Name	Post	Subject	Present Posting Place		New Posting Place		Remarks
					Name of School	District	Name of School	District	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	RJTO201436 028985	ABUL HASAN	Assistant Administrative Officer	---	Office of District Education Officer (Head quarters) Secondary Education, Tonk	TONK	Office of District Education Officer (Head quarters) Elementary Education, Tonk	TONK	---
2	RJSM20173 2039477	VISHNU KUMAR BANSHIWAL	Assistant Administrative Officer	---	Office of District Education Officer (Head quarters) Elementary Education, Tonk	TONK	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL MAHAPURA TURKIYA (222074)	TONK	TA/DA

उक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावे:-

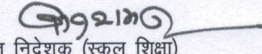
- उक्त स्थानान्तरण आदेशों में परीक्षाधीन कर्मिकों को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कर्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में एवं NTSP से TSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर स्थानान्तरण की स्थिति में नियमानुसार योगकाल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं है।
- संबंधित कर्मिकों को आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कर्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कर्मिक/निलम्बित कर्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जाकर इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- स्थानान्तरित कर्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्ति/साक्षात्कार/महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत कर्मिकों का स्थानान्तरण प्रतिनियुक्ति समाप्ति/प्रत्यावर्तन किया जाकर किया गया है।
- सूची में यदि ऐसे कर्मिक हैं जिनकी सेवानिवृत्ति/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति हो चुकी है, उनके संबंध में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। उक्त कर्मिकों के संबंध में अविलम्ब इस कार्यालय को अवगत करवाएं।
- स्वैच्छा से स्थानान्तरित हुए कर्मिक से कार्यमुक्त/कार्यग्रहण से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र लिया जाना है कि मेरा स्थानान्तरण स्वैच्छा से हुआ है और मैं इस हेतु नियमानुसार योगकाल व यात्रा भत्ते की मांग नहीं करूंगा/करूंगी।
- जनगणना/ओबीसी सर्वे कार्य में कार्यरत कर्मिकों को जनगणना/ओबीसी सर्वे हेतु प्राधिकृत अधिकारी की सक्षम स्वीकृति के उपरान्त ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जावे।
- यदि पूर्व में कार्यरत कर्मिक या अन्य कारणों से (न्यायालय प्रकरणों को छोड़कर) दोहरे पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न होती है तो पूर्व में कार्यरत कर्मिक को स्थानीय कार्यालय हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावे।
- मातृत्व अवकाश स्वीकृत कर्मिकों को अवकाश अवधि पूर्ण होने के उपरान्त कार्यग्रहण करवाया जाकर आगामी कार्य दिवस में स्थानान्तरित स्थान हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करावे।


 (गोविन्द नारायण शर्मा)
 संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
 अजमेर संभाग, अजमेर
 दिनांक:-10-07-2026

क्रमांक:-संयु.नि./स्कू.शि./अज./संस्था-3/फा-स्थाना.-व.स-सहा.प्रशा.अधि./2026/144

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, कार्यालय मंत्री, शिक्षा (विद्यालयी/संस्कृत) एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा गुप-2 विभाग राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
- कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारंभिक एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- सम्बन्धित पीईईओ/यूसीईईओ।
- संबन्धित संस्था प्रधान/कर्मिक को पालनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।


 संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
 अजमेर संभाग, अजमेर